न्यायालय तहसीलदार, तहसील रामगढ

सरकार जरिये पटवारी हल्का नंगला ललावण्डी

बनाम

इमरत पुत्र सिताब जाति मेव निवासी खिलौरा तहसील रामगढ

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण सं0 06 / 2024 निर्णय दिनांक 27.01.2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खिलौरा के गै०मु०जोहड भूमि के आ0ख0नं0 326 रकबा 1.36. है0 में से 0.10 हैक्ट. पर बसावट, बाडा, मकान पक्का व कच्चा (टिन) निर्माण कर इमरत पुत्र सिताब जाति मेव निवासी खिलौरा तहसील रामगढ द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर लिये जाने पर पटवारी हल्का खिलौरा द्वारा दिनांक 26.09.2024 को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किए जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू0अभि0 निरीक्षक वृत रामगढ के न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किए जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल इमरत पुत्र सिताब जाति मेव निवासी खिलौरा तहसील रामगढ को राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामील होने के बाद गैर सायलान की ओर से श्री राकेश यादव अधिवक्ता के द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। नियत तारीख पेशी पर किसी भी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। गैरसायलान द्वारा राजकीय भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किया है। गैर सायलान को किसी भी प्रकार का अनुतोष दिया जाना विधि अनुसार संभव नही है। अतः गैरसायलान को अतिक्रमी करार दिया जाकर अतिक्रमित रकबे से बेदखल किए जाने के आदेश दिए जाते है। नाजायज कब्जा 0.10 हैक्ट, पर बसावट, बाडा, मकान पक्का व कच्चा (टिन) निर्माण कर अतिक्रमण कर लेने पर दण्ड स्वरूप लगान 0.30 रू0 का 50 गुना रू0 15/– पैनल्टी आरोपित की जाती है। साथ ही पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार तहसील को लिखा जावे। पेनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु पटवारी/भू0 अभि0 निरीक्षक को लिखा जाकर बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसील रामगढ